



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 375] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 1992/भाद्र 26, 1914
No. 375] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 1992/BHADRA 26, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1992

सा.का.नि. 769(अ):—महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की
धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए केंद्र सरकार एतद्वारा क्षेत्रीय अधीक्षक, पश्चिम रेलवे, गांधीग्राम के स्था पर भारतीय

रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक, गांधीधाम को कांडला परतन पर स्वामी के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय (परतन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 387(अ) दिनांक 31-3-92 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 7 के सम्मुख “क्षेत्रीय अधीक्षक, पश्चिमी रेलवे, गांधीधाम” के स्थान पर “क्षेत्रीय प्रबंधक, गांधीधाम” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं.—पीटी-18011/6/91—पीटी]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1992

G.S.R. 769(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Area Manager, Gandhidham as a Trustee on the Port of Kandla to represent Indian Railways *vis* Area Superintendent, Western Railways, Gandhidham and makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 387(E) dated 31-3-92, namely :—

In the said notification against serial no. 7 for the words ‘Area Superintendent, Western Railways, Gandhidham.’ the words ‘Area Manager, Gandhidham’ shall be substituted.

[F. No. PT-18011/6/91-PT]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.